संख्या-49/2022/1729-ई-2/तेरह-2022-69/2011-399616

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2022

विषय: मे. वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., जनपद अलीगढ़ की क्षमता 150 कि.ली. प्रतिदिन के अन्तर्गत स्थापित सी-हैवी शीरे पर आधारित 90 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट की क्षमता बढ़ाकर 120 कि.ली. प्रतिदिन करते हुये प्लान्ट को दोहरी फीड अर्थात शीरे के साथ-साथ अनाज (ग्रेन) से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-225/दो-प्रा.डी.-101/ वेव डिस्टिलरी, दिनांक 21-09-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-09-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1718ई-2/तेरह-2022-69/2011-399616 दिनांक 10-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 21-09-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., जनपद अलीगढ़ को पूर्व से स्वीकृत क्षमता 150 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 525 लाख लीटर (315 लाख लीटर शीरे पर आधारित आसवनी +210 लाख लीटर अनाज पर आधारित आसवनी) की क्षमता बढ़ाकर 180 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 630 लाख लीटर वार्षिक (420 लाख लीटर शीरे पर आधारित आसवनी+210 लाख लीटर अनाज पर आधारित आसवनी) किये जाने हेतु इसके अन्तर्गत स्थापित सी-हैवी शीरे के 90 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट की क्षमता बढ़ाकर 120 कि.ली. प्रतिदिन करते हुये प्लान्ट को ड्यूल मोड अर्थात शीरे के साथ-साथ अनाज से 120 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 420 लाख लीटर शीरा/ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने अर्थात डुअल मोड पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चलाये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता पर सी-हैवी शीरे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओ की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।